

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड)
सेवा में,

262 ६७१०

/यो0वि0,पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को मो0 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रुपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955 दिनांक-15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है, जिसके मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी। साथ ही जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु संबंधित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार की जाएगी।

4. विमुक्ति की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

5. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष-2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

6. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यालय व्यय तथा संविदा सेवाएं मद में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रुपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विपत्र कोड-35-2235602000117 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन हेतु राशि की विवरणी				
(राशि रुपये में)				
क्र0	जिला का नाम	विषय शीर्ष		कुल आवंटित राशि
		विरतुत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-01 मद का नाम- कार्यालय व्यय	विरतुत शीर्ष-28 विषय शीर्ष-02 मद का नाम- संविदा सेवाएं	
1	भोजपुर	2,00,000	4,50,000	6,50,000
2	बक्सर	0	5,00,000	5,00,000
कुल		2,00,000	9,50,000	11,50,000

(ग्यारह लाख पचास हजार रुपये)

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित विषय शीर्ष अन्तर्गत पूर्व निर्गत आदेश के अनुरूप ही किया जाएगा। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य विषय शीर्ष के तहत नहीं किया जाएगा।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. रचीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. उपर्युक्त राशि के निकारी एवं व्यय के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023(खण्ड) 262 एच/0 /यो0वि0, पटना, दिनांक 17 मार्च, 2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव

सरकार के अपर सचिव